

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा/2/2011

दिनांक : 21.12.2011

:- संशोधन आदेश :-

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21.12.2011 के पृष्ठ संख्या 16 पर संबंधित को दी गई प्रतिलिपि के क्रम संख्या 14 पर पर अंकित शर्त "समस्त जिला कलेक्टरों को भेजकर लेख है कि अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण के समय संबंधित गृह जिले के पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन अनिवार्य रूप से प्राप्त करें एवं संतानों के संबंध में वचन पत्र एवं यदि शादि शुदा हो तो मेरिज सर्टिफिकेट, प्राप्त कर मूल ही अभ्यर्थी के कार्यग्रहण की सूचना भिजवाने के समय अनिवार्य रूप से साथ में भिजवावें एवं छाया प्रति आपके कार्यालय एवं संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भिजवावें" के स्थान पर "समस्त जिला कलेक्टरों को भेजकर लेख है कि अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण करने के समय से एक माह में संबंधित गृह जिले के पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन अनिवार्य रूप से प्राप्त करें एवं संतानों के संबंध में वचन पत्र एवं यदि शादि शुदा हो तो मेरिज सर्टिफिकेट, प्राप्त कर मूल ही अभ्यर्थी के कार्यग्रहण की सूचना भिजवाने के समय अनिवार्य रूप से साथ में भिजवावें एवं छाया प्रति आपके कार्यालय एवं संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भिजवावें" संशोधित कर पढी जावे।

नियुक्ति आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

आज्ञा से,

६ -

(सुनील कुमार शर्मा)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
- 2) निजी सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 3) निजी सचिव, माननीय चिकित्सा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
- 4) उप सचिव एवं निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
- 5) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 6) समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, राजस्थान
- 7) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 8) शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2), राजस्थान, जयपुर।
- 9) निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर।
- 10) रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- 11) समस्त प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज, राजस्थान
- 12) संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन, संबंधित।
- 13) रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल काउंसिल, जयपुर।
- 14) समस्त जिला कलेक्टर
- 15) संबंधित चिकित्सक को विभाग की बेवसाईट <http://www.rajswasthya.nic.in> के माध्यम से सूचनार्थ।
- 16) आदेश पत्रावली/ निजी पत्रावली।

शासन उप सचिव